SHRI MURASOLI MARAN : I did not say DDA will be trifurcated. There was a suggestion which emanated from the Estimates Committee and subsequently from the Balakrishnan Committee also. Before taking this decision, the question of reorganisation of political set-up of Delhi has to be decided. Naturally, if the Housing Board is set up by the Delhi State law, it would be better. That is the consideration. So, we have to consider this thing first.

MR. CHAIRMAN : The whole thing is under your active consideration.

SHRI MURASOLI MARAN : It all depends upon the proposed political set-up of Delhi. That is what I have said. If New Delhi becomes a State, we need not enact a law. The proposed set-up may decide about it. That is my contention.

*425. [*The questioner (Shri Debabrata Biswas) was absent. For answer* vide *col* 34-36 infra.]

National Pension Scheme for Aged, Disabled Etc.

*426. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government are considering a proposal to evolve a National Pension Scheme for the aged, the disabled, the handicapped, the widows and orphans who are destitutes;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the details of the present schemes if any, on these lines ?

THE MINISTER OF LABOUR AND WELFARE (SHRI RAM VILAS PASWAN) : (a) and (b) No, Sir.

(c) The details of Schemes under implementation by the States is given in the Annexures to this question.

[See Appendix CLV, Annexure No. 128.]

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसमें दो अशुद्धियां हैं जिनकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं । अब बात यह नहीं है कि बिहार में 30 रु. मासिक मिलते हैं और न ही उत्तर प्रदेश में 30 रु. मिलते हैं । इसको सौ रुपए कर दिया गया है । मंत्री जी को शायद इसकी जानकारी होगी । वे अपने विभाग से पूछें कि उनके विभाग ने ऐसा क्यों किया है, गलत जवाब क्यों दिया है . . . **(व्यवधान)** ।

मेरा प्रश्न यह है कि सरकार ने जो जवाब दिया है उससे भी स्पष्ट है कि बुढ़ापे की पेंशन के लिए विभिन्न राज्यों में अलग-अलग उम्र निर्धारित की गई है । लेकिन जरूरत इस बात की है कि सारे राष्ट्र के लिए कोई उम्र निर्धारित की जाए । कवरेज भी कहीं एक परसेंट है तो कहीं 26 परसेंट हो गया है । इस प्रकार की अनियमितता और विचित्र बात है । उसी तरह से जो रकम दी जा रही है वह भी कहीं 30 रु. है और कहीं 100 रु. है और कहीं 60 रु. है। ऐसी स्थिति में सरकार को एक राष्ट्रीय नीति बनाने में क्या एतराज है क्योंकि बूढ़े लोग भी बच्चों की तरह राष्ट्र के अंग हैं ? एक राष्ट्रीय योजना बनाने में सरकार को क्या दिक्कत है, इसको कृपया साफ किया जाए ।

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, हमने जितना जवाब दिया था उससे हम यह समझ रहे थे कि इसके बाद सप्लीमेन्टरी नहीं उठेगा, लेकिन श्री चतुरानन मिश्र जी ने पूरक प्रश्न पूछ ही दिया । यह जो रेट है यह 1987-88 का है । यह बात उसमें लिखी हुई है । यह लेटेस्ट नहीं है । लेकिन यह बात सही है कि बहुत सारे राज्यों ने इसको एक सौ रुपए की दर से करने का काम किया है । मैंने प्रश्न के जवाब में यह कहा था कि हमारी ऐसी राष्ट्रीय स्तर पर कोई निश्चित तौर पर योजना नहीं है, लेकिन विभिन्न राज्य सरकारें इस दिशा में कार्य कर रही हैं और हमने राज्य सरकारों को लिखा भी है और इस संबंध में दो चीजें हैं । हमने योजना आयोग को लिखा है कि इसको कम से कम एक सौ रुपए प्रति माह कर देना चाहिए दूसरी बात यह है कि अभी

तक केवल 10 प्रतिशत वृद्ध कवर हो पाते हैं, उसके लिए हम लोगों ने कहा है कि कम से कम 20 प्रतिशत कवर होने चाहिए। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं यह भी बतला दूं कि हमारी वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक वर्किंग ग्रुप बना था। उस वर्किंग ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और प्लानिंग कमीशन को भी दी है। इसमें वृद्धों के लिए कल्याण बोर्ड की सिफारिश की गई है। उसका नाम उन्होंने नेशनल बोर्ड फार दी वेलफेयर आफ सीनियर सीटिजन्स दिया है। हम उसको देख रहे हैं। जहां तक राशि का मामला है, इसके तहत अभी तक कोई विशेष योजना नहीं चलाई जा रही है। 50 लाख रुपए पहली बार स्वयंसेवी संस्थाओं वगैरह को दिए गए थे, इस बार हमारे मंत्रालय ने बढ़ाकर एक करोड़ पचास लाख किए हैं। इसके अंतर्गत कुछ स्कीम चलाने पर विचार कर रहे हैं। इसमें ओल्ड एज होम का भी मामला है, इसमें मेंटिनेंस भी है, फिर डे केयर होम है।

श्री सभापति : वे चाहते हैं कि इन सब में कोई यूनिफार्मलिटी लाने का प्रयास करेंगे क्या।

श्री राम विलास पासवान : इस संबंध में हमने राज्य सरकारों को भी लिखा है...

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय, राज्य सरकारों को नेशनल पेंशन स्कीम के लिए क्यों लिखेंगे ? मैं पूछ रहा हूं कि भारत सरकार की बूढ़ों के लिए कोई योजना है या नहीं ? यह इन्होंने कहा है.

श्री सभापति : बोर्ड बना रहे हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : नहीं, नहीं, वह अलग चीज है। जो लावारिस होंगे उनको वहां रख देंगे, या हम समझते हैं। मैं पूछ रहा हूं कि नेशनल पेंशन स्कीम कोई है या नहीं ? ...**(व्यवधान)**... मैं पूछ रहा हूं कि राष्ट्रीय योजना कोई पेंशन की क्यों नहीं बनाई जाती है ? सरकार को क्या दिक्कत है, मेरा क्वेश्चन यह है। इसका इन्होंने ज्वाब दिया है कि नो। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि दिक्कत क्या है ? क्यों नहीं राष्ट्रीय पेंशन योजना बनाते हैं ?

श्री सभापति : दिक्कत आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। दिक्कत उनकी छोटी सी है।

श्री चतुरानन मिश्र : क्या ?

श्री सभापति : फाइनेंस।

श्री चतुरानन मिश्र : राज्य सरकार जितना देती है उतना आप दें और दोनों मिलकर दें। अगर ये देने के लिए तैयार हैं तो क्या आप 50 प्रतिशत देने के लिए तैयार होंगे या नहीं ?

श्री सभापति : प्रश्न हो गया। यह पूछ रहे हैं कि अगर राज्य सरकार दे तो 50 फीसदी आप भी देने को तैयार हैं क्या।

श्री रामविलास पासवान : यह संभव नहीं है। राज्य सरकारों को करने दीजिए। सब चीजों में केन्द्रीय सरकार कहां से पैसा लाएगी ? ...**(व्यवधान)** ...

श्री सभापति : वह नहीं देंगे।

श्री चतुरानन मिश्र : मैंने बूढ़ों के बारे में पूछा है। सभापति महोदय, आप भी बूढ़े हैं।

श्री सभापति : मैं क्या करूं। ... **(व्यवधान)**... नौजवानों को बोलने दीजिए। बूढ़े अपनी फिक्र खुद करेंगे।

श्री चतुरानन मिश्र : हम लोग चले ही जाएंगे, करेंगे किस के लिए। प्रधानमंत्री महोदय, सौभाग्य से इस समय सदन में मौजूद हैं, क्या बात है जो हमारे राष्ट्रीय बजट का एक पैसा भी बूढ़ों के लिए नहीं खर्च करना

चाहते ? मैं यह जानना चाहता हूं कि इसे राष्ट्रीय योजना के अंदर आप क्यों नहीं ले रहे हैं ? कहें कि इन कारणों से हम नहीं ले रहे हैं । हमारे प्रधानमंत्री . . . (व्यवधान) . . . प्रधानमंत्री को हाईजेक कर लिया है । बूढ़ों के लिए प्रधानमंत्री जी क्या योजना बनाएंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मान्यवर, अभी तो नौजवानों के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं ।

श्री चतुरानन मिश्र : नौजवानों का कर रहे हैं तो उसमें फंस गए हैं । लेकिन बूढ़ों . . .

श्री सभापति : दुबारा नहीं फंसना चाहते हैं बूढ़ों में ।

श्री चतुरानन मिश्र : बूढ़ों के लिए क्या आप इस तरह की सुविधा देने पर विचार कर रहे हैं ? आप इस बारे में कुछ तो कहिए . . . (व्यवधान) . . . कोई स्कीम तो हो । नहीं तो यह कह दीजिए कि योजना आयोग को इस पर विचार करने के लिए भेजेंगे ।

श्री रामविलास पासवान : सभापति जी, हमने कहा है कि एक करोड़ पचास लाख रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं । कुछ स्कीम की बात हमने की है जैसे ओल्ड एज होम है, मेंटिनेंस है या डे केयर होम है । ये इतनी बढ़िया योजनाएं हैं, यह भी सेंट्रल . . . (व्यवधान) . . .

श्री सभापति : डेढ़ करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, आपको बता दिया है ।

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय, जो हम मांगते हैं तो ये देते नहीं और . . .

श्री सभापति : आपस में बात कर लीजिए ।

श्री चतुरानन मिश्र : फिर भी हमारी बात को सुन लीजिए । मैं पेंशन स्कीम के बारे में पूछ रहा हूं । ये हमको जंगल-जंगल घुमा रहे हैं चारों तरफ । हमको बतलाइए कि पेंशन स्कीम में कितना रुपया आप देते हैं ?

श्री सभापति : इसका जवाब दे दिया उन्होंने, नहीं ।

श्री चतुरानन मिश्र : अब मेरा दूसरा सवाल है . . .

श्री सभापति : हो गए दो आपके । अब नौजवानों को भी पूछने दीजिए . . . (व्यवधान) . . . आपके दो हो चुके हैं । . . . (व्यवधान) . . .

श्री अजीत जोगी : माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में यह कहा है कि न तो केन्द्र सरकार से यह योजना चलाई जाएगी और न ही वे राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दे सकेंगे । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे राज्यों को, जहां आदिवासी और अनुसूचित जाति के ज्यादा लोग हैं, कम से कम वहां पर, जहां तीन-चार महीनों से इस योजना के अंतर्गत पेंशन नहीं मिल पा रही है तो क्या वहां आप वित्तीय सहायता केन्द्र से देंगे ?

श्री राम विलास पासवान : महोदय, पिछड़ी जातियों, जनजातियों के लिए दूसरी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं । लेकिन जहां तक वृद्धावस्था पेंशन का सवाल है मैंने बतलाया कि वृद्धावस्था पेंशन में अभी हम राज्य सरकारों के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि वे कम से कम सौ रुपए प्रतिमाह दें और करीब-करीब 8-10 राज्य सरकारें सौ रुपए कर भी चुकी हैं . . . (व्यवधान) . . . जहां तक अनुसूचित जातियों, जन जातियों का सवाल है । उनमें भी अभी तक ऐसा नहीं है । हम अभी कहने के लायक स्थिति में नहीं हैं कि हम उनके लिए अलग कर सकेंगे या नहीं ।

MR. CHAIRMAN : Question Hour is over.